

प्रदेश के एक लाख किसानों को तारबंदी के लिये मल्लिगा अनुदान

चर्चा में क्यों?

22 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरिशरति पशुओं से फसलों को बचाने के लिये प्रदेश के एक लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर के तारबंदी के हेतु 444.40 करोड़ रुपए के वत्ततीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी ।

प्रमुख बढि

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान फसल सुरक्षा मशिन के तहत समस्त लंबति प्रार्थना पत्रों को दो वर्षों में नस्तितारति करने की दृष्टि से सहमता दी है ।
- उन्होंने अनुसूचति जनजात क्षेत्रों के किसानों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिये न्यूनतम सीमा 0.50 हैक्टेयर कयि जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृता दी है ।
- तारबंदी में सामुदायकि भागीदारी पर अब पहले से अधकि अनुदान मल्लिगा । इसमें 10 या अधकि किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिये अनुदान राशा 70 प्रतशित की गई है ।
- वत्ततीय वर्ष 2023-24 में तारबंदी पर अनुदान में करीब 444.40 करोड़ रुपए व्यय होंगे । इनमें 391 करोड़ रुपए कृषक कल्याण कोष से, 25 करोड़ रुपए राज्य योजना 'तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान' से वहन होंगे । शेष 28.40 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन से (राज्यांश 11.36 करोड़ रुपए) खर्च कयि जाएंगे ।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में राजस्थान फसल सुरक्षा मशिन के अंतरगत तारबंदी को नरितर जारी रखने की घोषणा की गई थी ।